उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद पेंशन अनुभाग, मुख्यालय, लखनऊ

सन्दर्भः– शासनादेश संख्या एस–3–2120/10–98, दिनांक 18 अगस्त 1998

प्रपत्र–1

(आवास एवं विकास परिषद द्वारा पेंशन भोगी के खाते में प्रतिमाह देय पेंशन की धनराशि सीधे जमा करने का आवेदन–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि मै ..... पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री ..... निवासी ..... पेंशन भुगतानादेश संख्या (पी0पी0ओ0 संख्या) ..... रूपये ..... मात्र की देय धनराशि बैंक में परिषद द्वारा सीधे जमा करने हेतु बैंक ..... शाखा .....में खाता संख्या ..... IFSC कोड ..... अपने नाम (एकल अथवा पति/पत्नी के साथ संयुक्त खाता की छाया प्रति संलग्न करें) में खुलवा लिया है।

2. मै सशपथ स्वीकार करता हूँ कि उपरोक्त खाते को मै भविष्य में भी एकल खाता/पति एवं पत्नी के साथ संयुक्त खाते से भिन्न संचालित नहीं करूँगा।

3. यह भी प्रमाणित करता हूँ कि अन्यत्र किसी सरकार/अर्द्ध सरकारी/राज्य सहायता प्राप्त संगठन/संस्था में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सेवा कर कोई धनोपार्जन नहीं करता हूँ/करती हूँ। (महिलाओ के प्रकरण में पुनर्विवाह न करने की पुष्टि की जाए)

4. मेरी मृत्यु होने की दशा में पेंशन सम्बन्धी जीवन कालीन अवशेष का भुगतान श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/(सम्बन्ध) निवासी ..... को किया जाये।

5. यदि उपरोक्त प्रमाण से भिन्न कोई तथ्य सिद्ध होता है तब उसका पूरा दायित्व मुझ पर होगा एवं अधिक भुगतान की धनराशि ब्याज सहित मेरे/मेरे वारिस के चल–अचल सम्पत्ति से वसूल की जायेगी।

संलग्नक : 1. पैन कार्ड की छायाप्रति
2. बैंक पासबुक की छायाप्रति (मूल के साथ)

दिनांकः

पेंशन भोगी के हस्ताक्षर .....

पी0पी0ओ0 संख्या .....

पैन नं0 (छाया प्रति संलग्न करें) .....

प्राधिकारी के हस्ताक्षर

मोबाइल नं0 .....